उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-30/2020/299/92-2-20-94जांच/2017
लखनऊ:: दिनांक:: 24 जनवरी 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-उन्नाव के कार्यकाल में बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में कराये गये सी0सी0 रोड निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता किये जाने, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने एवं महत्वपूर्ण योजनाओं में लापरवाही बरतने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-121/ 2018/ 2158/92-2-18-94जांच/2017 दिनांक 16-08-2018 द्वारा श्री सुरेन्द्र प्रसाद राव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-उन्नाव, सम्प्रति प्रखण्ड-हरदोई के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता ग्रा0अ0वि0, परि0-कानपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-कानपुर के पत्र संख्या-143/ग्रा0 अ0वि0/ एस0टी-अनु0जांच/एस0पी0 राव/तत्का0स0अ0/19-20 दि0 16-05-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। उक्त जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 02 आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित नही पाया गया। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जांच अधिकारी की जांच आख्या के निष्कर्ष से भिन्न मत स्थापित करते हुये शासन के पत्र सं0-1969/92-2-19-94जांच/17 दि0 25-10-2019 द्वारा अपचारी अधिकारी, श्री राव का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके दिनांक रहित पत्र के माध्यम से शासन में दि0 29-11-2019 को प्राप्त हुआ।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्योवदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री सुरेन्द्र प्रसाद राव पर अधिरोपित कोई भी आरोप स्थापित होना नही पाया गया। उक्त के दृष्टिगत श्री सुरेन्द्र प्रसाद राव तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-उन्नाव सम्प्रति प्रखण्ड-हरदोई के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-08-2018 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से,

राजेन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-30/2020/299/(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ !
2- श्री सुरेन्द्र प्रसाद राव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-उन्नाव सम्प्रति प्रखण्ड-हरदोई द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in